सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/DEV-2317/TS/42/2023-ESDW –RU-IV   दिनांक : 28.03.2025

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जिला गाजीपुर ,
कलेक्ट्रेट गाजीपुर,
उत्तर प्रदेश -233001
ई:मेल- dmgaz@nic.in

विषय: जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करने के संबंध में श्रीमती किरन पत्नी अमित कुमार , ग्रामरामगढ़ -पोस्ट/ परगना जहूराबाद,थानाकासिमाबाद-तहसील/, जिलागाजीपुर-, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती किरन,
पत्नी अमित कुमार,
ग्राम/पोस्ट-रामगढ़, परगना जहूराबाद,
थाना/तहसील-कासिमाबाद,
जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-275201
फोन नं. 8002880324

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
फा. सं. NCST/DEV-2317/TS/42/2023-ESDW

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करने के संबंध में श्रीमती किरन पत्नी अमित कुमार, ग्राम/पोस्ट-रामगढ़ परगना जहूराबाद,थाना/तहसील-कासिमाबाद, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश-275201 की शिकायत दिनांक 13/09/2023 के मामले में दिनांक 27.02.2025 को 03:40 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक	:	27.02.2025 को 03:40 बजे।
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-I के अनुसार।

1. अभ्यावेदिका श्रीमती किरन, पत्नी श्री अमित कुमार, गाँव/पोस्ट-रामगढ़, परगना जहूराबाद, थाना/तहसील-कासिमाबाद, जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश सें शिकायत दिनांक 13-09-2023 आयोग को प्राप्त हुई है। शिकायत में उन्होंने बताया है कि उनकी उपजाति गोंड है, जो अनुसुचित जनजाति की श्रेणी में आती है तथा वह अगस्त 2022 से लगातार अपना और अपने परिवार का जाति प्रमाण-पत्र बनवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें सम्बंधित लेखपाल राधेश्याम यादव और तहसीलदार जया सिंह द्वारा जातिगत तौर पर परेशान किया जा रहा है और जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा हैं। जाति प्रमाण-पत्र न बनने के कारण उनके परिवार को सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु जिलाधिकारी, जिला-गाजीपुर, को नोटिस दिनांक 17.10.2023 भेजा गया । आयोग के नोटिस के प्रतिउत्तर में सम्बंधित कार्यालय से दिनांक 28.11.2023 की उत्तर/रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसकी छायाप्रति शिकायतकर्ता को सूचनार्थ भेजी गई |

3. शिकायतकर्ता ने सम्बंधित प्राधिकारी के उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 28.11.2023 के सम्बन्ध में प्रत्युतर दिनांक 02.01.2024 भेज कर अपनी असहमति व्यक्त की है |

4. मामले में, आयोग द्वारा जिलाधिकारी, जिला गाजीपुर के साथ आयोग में सिटिंग तय की गयी तदनुसार सभी संबन्धित को सिटिंग पत्र जारी किए गए।

5. मामले में दिनांक 25.07.2024 के कार्यवृत के सन्दर्भ में जिला प्रशासन से रिपोर्ट/उत्तर प्राप्त हुआ | जिसमे उनके द्वारा बताया गया कि पुनः जाँच (05.11.2024) में निम्नलिखित तथ्य सामने आये :

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
New Delhi

- आवेदिका के पिता श्री स्वामीनाथ गोड़ (जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ) अनुसूचित जाति (गोंड) में हैं, न कि अनुसूचित जनजाति में।
- आवेदिका के पति के परिवार से पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त लालजी राम गोड़ भी अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज हैं।

6. मामले में जिलाधिकारी सिटिंग में उपस्थित नहीं हुए उनकी ओर सें अपर जिला दंडाधिकारी पेश हुए| याचिकाकर्ता किरन अस्वस्थ होने के कारण सिटिंग में उपस्थित नहीं हुई, उनकी जगह उनके पति सिटिंग में शामिल हुए। याचिकाकर्ता के पति ने बताया कि वह हैदराबाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत सरकार में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर सेवारत हैं तथा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उनका चयन हुआ था और 2004 से विभाग में काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी मऊ(यूपी) जिले से हैं और उनके ससुर और साले यूपी सरकार के विभागों में सेवारत हैं और उन्होंने गोंड अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है । उन्होंने बताया है कि उनके परिवार तथा ससुराल पक्ष दोनों तरफ से सबके पास गोंड अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्र है किन्तु अब जिला प्रशासन द्वारा उनको जाति प्रमाण ऑनलाइन जारी नहीं किया जा रहा है । उन्होंने सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां सुनवाई के दौरान आयोग में जमा कराई है।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर, आयोग द्वारा आयोजित लगातार दूसरी सुनवाई में भी अनुपस्थित रहे, जिससे यह प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन मामले की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहा है। उनकी निरंतर अनुपस्थिति प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति उदासीनता को दर्शाती है।
2. जिला प्रशासन ने रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि आवेदिका के पिता, श्री स्वामीनाथ गोड़ (जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ), तथा आवेदिका के पति के परिवार में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त लालजी राम गोड़, दोनों ही अनुसूचित जाति (गोंड) के रूप में दर्ज हैं, न कि अनुसूचित जनजाति में। दोनों व्यक्ति सरकारी सेवाओं में कार्यरत थे। आयोग को सुनवाई के दौरान बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति (SC) से हटाकर अनुसूचित जनजाति (ST) में 27 जनवरी 2003 के बाद शामिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ।

    2.1 चूंकि ये दोनों व्यक्ति 2003 से पहले ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो चुके थे, इसलिए उनकी सेवा पुस्तकों में अनुसूचित जाति का उल्लेख होना संभावित है। यदि दोनों ही व्यक्तियों ने सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण का लाभ लिया है, तो यह ध्यान देने योग्य विषय है कि अनुसूचित जाति में शामिल गोंड समुदाय को ही बाद में अनुसूचित जनजाति (ST) में सम्मिलित किया गया था। अतः, इस विषय पर विस्तृत जानकारी संकलित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

3. शिकायतकर्ता के पति को पूर्व में जिला कार्यालय द्वारा गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसके आधार पर वे वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। हालांकि, अब नए प्रमाण पत्र के लिए

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आवेदन करने पर उन्हें और उनके बच्चों को प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अतः, प्रमाण पत्र न देने के कारणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए और इस विषय में शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए ।

4. उपरोक्त विषय को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्रेषित किया जाए ताकि आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर आयोग को अवगत कराएं। अन्यथा, आगामी में होने वाली सुनवाई में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति मामले के निष्पादन हेतु अनिवार्य होगी।

5. मामले में, जिलाधिकारी, जिला मऊ (उत्तर प्रदेश) को यह कार्यवृत्त प्रेषित किया जा रहा है, ताकि शिकायतकर्ता को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र न देने के कारणों तथा शिकायतकर्ता के पिता, श्री स्वामीनाथ गोड़ (जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ), से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जाए ।

मामले में की गई कारवाई की रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों में भेजना सुनिश्चित करें।

आशा लकड़ा
19/03/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-2317/TS/42/2023-ESDW –RU-IV

Sitting to be held on **27.02.2025 at 03:20 P.M**- जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करने के संबंध में श्रीमती किरन, पत्नी अमित कुमार, ग्राम/पोस्ट-रामगढ़, परगना जहूराबाद,थाना/तहसील-कासिमाबाद,जिला-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से दिनांक 13.09.2023 का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Director		
3.	Shri H.R. Meena Research Officer		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Shubhashis Rasik Soren		[signature]
6.			
II	**Officers from O/o Superintendent of Police, Gazipur**		
1.	Ayush Chaudhary ADM Gazipur	gazipur	[signature]
2.	AMIT KUMAR	8002880324	[signature]
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			